

25
प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 6375/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	अम्बिकापुर	बरगंवा	3.809	बरनई (मध्यम) परियोजना

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 19/09/2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन बरगंवा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कंडिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	बरनई (मध्यम) परियोजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	26
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	2049.36 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

 27/8

(डॉ. सारांश मिस्टर)

कलेक्टर


सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 6376/भू-अर्जन/2019.
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चर्या कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम बरगंवा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, बरनई (मध्यम) परियोजना ग्राम बरगंवा तहसील- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 6371/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवापारा	0.060	नवानगर व्यपवर्तन योजना
		नवानगर	0.063	
		रकेली	0.037	
		योग:-	0.160	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 16/09/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन नवानगर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कडिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	नवानगर व्यपवर्तन योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	3
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ:- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	379.03 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मित्तर)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 6372/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019

1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।

3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम नवापारा, नवानगर, एवं ग्राम रकेली अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।

5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, नवानगर व्यपवर्तन योजना ग्राम नवापारा, नवानगर, एवं ग्राम रकेली, तहसील- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।

8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

25

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 6367/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 27/08/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
बलरामपुर	लुण्ड्रा	कुन्दीकला (डुबान क्षेत्र)	9.241	गागर फीडर जलाशय योजना
		सेमरडीह (वेस्ट वियर)	1.750	
		बकनाकला (डुबान क्षेत्र)	14.508	
		चलगली (डुबान क्षेत्र)	7.421	
		डांडगांव (डुबान क्षेत्र)	3.404	
		खालपोड़ी (डुबान क्षेत्र)	45.667	
योग:-			81.991	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 12/09/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन खालपोड़ी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कंडिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	गागर फीडर जलाशय योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	177
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ:- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	8,24,20,536 रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मित्तल)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 6368 / भू-अर्जन / 2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 27.08 / 2019

1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।

3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।


4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्था कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम कुन्दीकला, बकनाकला, चलगली, डांडगांव, खालपोड़ी एवं ग्राम सेमरडीह अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।

5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, गागर फीडर जलाशय योजना ग्राम कुन्दीकला, बकनाकला, चलगली, डांडगांव, खालपोड़ी एवं ग्राम सेमरडीह तहसील- लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लुण्ड्रा, जिला सरगुजा।

8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर